भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *8

(जिसका उत्तर सोमवार, 19 जुलाई, 2021/28 आषाढ़, 1943 (शक) को दिया जाना है)

ईंधन/एलपीजी पर उत्पाद शुल्कों एवं करों में होने वाली वृद्धि का प्रभाव

***8. डॉ. ए.चेल्लाकुमार:**

डॉ. अमर सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने ईंधन/तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) पर उत्पाद शुल्कों एवं करों में होने वाली वृद्धि के आय असमानता पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो जनसंख्या के विभिन्न आय समूह वाले लोगों पर ईंधन उत्पाद शुल्कों के पड़ने वाले भार का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में कोई आकलन किया है कि ईंधन उत्पाद शुल्कों में होने वाली वृद्धि से किस प्रकार वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो सकती है और महंगाई भी बढ़ सकती है; और

(घ) यदि हां, तो मौजूदा ईंधन उत्पाद शुल्कों के महंगाई पर पड़ने वाले प्रभाव के आकलन का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क), (ख), (ग) और (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

'ईंधन/एलपीजी पर उत्पाद शुल्कों एवं करों में होने वाली वृद्धि का प्रभाव' के संबंध में दिनांक 19 जुलाई, 2021 को उत्तरार्थ डॉ. ए.चेल्लाकुमार और डॉ. अमर सिंह द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *8 के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) और (ख): जी, नहीं। ऐसा कोई आकलन नहीं किया गया है।

(ग) और (घ): जून 2021 में सीपीआई-सम्मिलित मुद्रास्फीति 2020-21 के दौरान 6.16 प्रतिशत की औसत सीपीआई-सम्मिलित मुद्रास्फीति के विरुद्ध 6.26 प्रतिशत थी। कुल सीपीआई-सम्मिलित में पेट्रोल, डीजल और अन्य ईंधनों जैसे ईंधनों का भार केवल 2.52 प्रतिशत है।

*****